प्रेषक,

निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

संख्या।75एम0–1ए–15/11 दिनांक 26/05/2017

विषयः–किसानों को मिट्टी की रायल्टी में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार के खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 84/7/5/ 99–खान–अप, दिनांक 03.08.2000 द्वारा बांधों, सड़कों, रेल मार्गों, भवनों आदि के निर्माण के लिए भराई या समतल के उद्देश्य से प्रयुक्त सामान्य मिट्टी को Minor Mineral घोषित किया गया है। तद्नुसार उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 1963 में साधारण मिट्टी को सम्मिलित करते हुए रायल्टी का निर्धारण किया गया है।

साधारण मिट्टी के सम्बन्ध में भारत सरकार व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा समय–समय पर निम्न निर्देश निर्गत किये गये है :–

1. भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का कार्यालय ज्ञाप संख्या 1840/एम0 1 ए 15/11 दिनांक 01.02.2014 एवं संख्या 427/एम0 1 ए 15/11 दिनांक 10.07.2014 जिसके द्वारा ग्रामीण अंचलों में छोटे–छोटे गृह निर्माण हेतु किसानों को 10 ट्राली पर रायल्टी से छूट प्रदान की गयी है।

2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के परिशिष्ट 9 में कतिपय मामलों में पर्यावरण अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गयी है।

3. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के शासनादेश संख्या 700/86–8/55–08 दिनांक 13.02.2008 जिसके द्वारा बेसमेंट खुदाई हेतु अनुमति प्राप्त करने विषयक शासनादेश संख्या 11/86–8/55–08 दिनांक 07.02.2008 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि निजी प्रयोजन हेतु निर्मित किये जाने वाले आवासीय भवन उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2008 से आच्छादित नही होते है।

अतः उक्त निर्देशों की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि साधारण मिट्टी के मामलों में समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 बलकार सिंह)
निदेशक।

दिनांक 2017

संख्या।75एम0–1ए–15/11
प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

26-05-17

(डॉ0 बलकार सिंह)
निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

संख्या 1127 /एम0 1 ए 15/11 दिनांक 16 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1840/एम 1 ए 15/11 दिनांक 01 फरवरी, 2014 के द्वारा साधारण मिट्टी के प्रयोग के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण से अवगत किया गया है, जिसके अनुसार ग्रामीण अंचल मे छोटे–छोटे गृह निर्माण हेतु पशुगाड़ी अथवा अन्य पांच ट्रैक्टर ट्राली अधिकतम मात्रा 20 घन मीटर तक के प्रयोग पर शुल्क अथवा स्वामित्व की देयता नहीं होगी।

2 दिनांक 07.7.2014 को मा0 मत्री, भूतत्व एव खनिकर्म की अध्यक्षता मे एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 एव सयुक्त निदशक, भूतत्व एव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 उपस्थित थे। उक्त बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण अचलों मे आमजन द्वारा ट्रैक्टर ट्राली से अपने उपयोग हेतु ले जाने वाली साधारण मिट्टी के सम्बन्ध मे 05 ट्राली तक की छूट सीमा को बढ़ाकर 10 ट्राली कर दिया जाये।

3 उक्त बैठक मे यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसान निर्धारित सीमा से अधिक मिट्टी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाता है और उसके पास विधिक अनुमति नहीं है, तो उस पर आरोपित की जाने वाली शमन शुल्क धनराशि रू0 1000/– प्रति ट्राली रखी जाये।

(डा0 भास्कर उपाध्याय)
निदेशक।

संख्या /एम0 1 ए 15/11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, माननीय मत्री जी, भूतत्व एव खनिकर्म, उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय मत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश शासन, को शासकीय पत्र संख्या–2448/वि0स0खनिज/2014 दिनांक 07.07.2014 के सदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एव खनिकर्म विभाग उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय।
7. जनपदों के क्वैरी कार्यालयों में तैनात/सम्बद्ध सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।

(डा0 भास्कर उपाध्याय)
निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश
27/8, राजा राम मोहन राय मार्ग, खनिज भवन, लखनऊ।

संख्या— /एम 1 ए15/11 दिनाँक : 01 फरवरी, 2014

कार्यालय—ज्ञाप

'ईट—मिट्टी' एवं 'साधारण मिट्टी' को भारत सरकार द्वारा उपखनिज घोषित किया गया है, अतएव उक्त उपखनिजों का खनन उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिहार प्राप्त किये बिना किया जाना अवैध खनन की परिभाषा से आच्छादित होता है।

2. उपरिलिखित व्यवस्था के प्रचलित होने से जन सामान्य को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना नैतिक जीवन में करना पड़ रहा है। अतः शासकीय पत्र संख्या—370/86—2014—27/2014 दिनांक 31 जनवरी, 2014 के द्वारा प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित गतिविधियों पर स्वामित्व एवं शुल्क से मुक्त होने का स्पष्टीकरण एतद्द्वारा संसूचित किया जा रहा है —

(1) भारत सरकार खान और खनिज मन्त्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या—जीएसआर 95(E) दिनाँक 03 फरवरी, 2000 के अनुसार निम्नलिखित उपयोगों के लिए 'साधारण मिट्टी' उपखनिज माना जायेगा।

बांधों, सड़कों, रेल मार्गों एवं भवनों :—
(क) निर्माण के लिए भराई
(ख) समतल करने के लिए

अतएव उक्त उपयोग से भिन्न उपयोग :
अर्थात् —

(i) भवनों से भिन्न ग्रामीण अंचल में छोटे—छोटे गृहों के निर्माण हेतु पशु गाड़ी अथवा पाँच ट्रैक्टर ट्राली अधिकतम 20 घन मीटर तक।

(ii) मिट्टी के बर्तन, दीपक, शिल्प कला द्वारा निर्मित मिट्टी के खिलौने, मूर्तियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के कुटीर उद्योग के आधार पर ऐसे शिल्पकारों, वंशानुगत कुम्भकारों/कुम्हार (कुम्हारों) जिनका एक वर्ष के मध्य अधिकतम व्यवसाय रुपया एक लाख के अन्दर है।

(iii) बिन्द, मांझी, केवट इत्यादि मछुवा समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा मत्स्य पालन के प्रयोजन हेतु तालाब, पोखर, जलाशय इत्यादि का विनिर्माण।

(iv) किसान द्वारा अपने कृषकीय भूमि के समतलीकरण हेतु भूमि में स्थित मिट्टी के टीलों का निस्तारण भूमि का समतलीकरण।

(v) कृषि भूमि पर निजी भूमि में उपलब्ध मिट्टी से मेड़ों का विनिर्माण।

(vi) ग्रामीण अंचल में मकान के ऊपर छाये जाने वाली टाइलों (खप्पर) निजी उपयोग हेतु अधिकतम 50 हजार ईंट तक ईंटों के छोटे पैमाने पर परम्परागत तरीके छोटे स्तर पर भट्ठे के माध्यम से विनिर्माण हेतु साधारण मिट्टी का उपयोग।

उपरिलिखित गतिविधियॉ भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनॉक 03 फरवरी, 2000 से आच्छादित न होने के कारण खनन संक्रिया नहीं मानी जायेगी और न ही इन पर किसी प्रकार के शुल्क अथवा स्वामित्व की देयता होगी।

(2) ग्रामीण अचल में अपने गृह आदि के निर्माण हेतु चूना पत्थर के ककड़ों को बीन कर उनको भट्ठे में पकाकर चूना बनाने पर किसी प्रकार के शुल्क अथवा स्वामित्व की अदेयता।

(3) खनिज विकास निधि से खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में उत्खनन में लगे श्रमिकों के कल्याण हेतु पेय जल, श्रमिक विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा तथा सुगम मार्ग इत्यादि सुविधाओं को विस्तृत किया जाना।

(डा0 भास्कर उपाध्याय)
निदेशक।

संख्या– 1940/एम 1 515/11 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ को शासकीय संख्या–370/86–2014–27/2014 दिनॉक 31 जनवरी, 2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आदेशार्थ प्रेषित।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय।
7. जनपदों के कैम्प कार्यालय में तैनात/सम्बद्ध सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।

(डा0 भास्कर उपाध्याय)
निदेशक।